न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 194/15 (वाद)
GCMS No. : 2015/00052

अनवान

1. श्री जयकरणदास पिता दुर्गादास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री रामलाल पिता सोहनलाल नाई निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. श्री गुलाबसिंह पिता अमरसिंह मोतीसर राजपूत निवासी खेमपुर तह. मावली।
3. श्री नाथूसिंह पिता जयकरणदास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या : 264/15 (वाद)
GCMS No. : 2015/00050

1. श्री जयकरणदास पिता दुर्गादास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री भेरूलाल पिता शोभालाल जैन निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. श्री सुशील कुमार पिता भेरूलाल जैन निवासी खेमपुर तह. मावली।
3. श्री मानसिंह पिता अमरसिंह मोतीसर राजपूत निवासी खेमपुर तह. मावली।
4. श्री नाथुसिंह पिता जयकरणदास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.12.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली में मुझ वादी की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है जिसके खेत खसरा नम्बर 990 रकबा 8 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व अभिलेख में खातेदारी हक से वादी एवं पुत्र प्रतिवादी नाथुसिंह के नाम दर्ज है। जिसको वादी बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। मैने अपनी जमीन के थोहर की बाड कर रखी हैं।
3. यह कि प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त जमीन में दिनांक 10.08.2015 को शाम के करीबन 6 बजे मैं अपनी उक्त जमीन पर गया तो रामलाल की पत्नी उसमे खडी घास को काट रही थी मैने अपने घर जाकर मेरे सिजारी श्री मोतीलाल पिता रोडा जी गाडरी निवासी खेमपुर को पता करने रामलाल के घर भेजा तो रामलाल ने कहा कि मवेशी बांधने के लए भेरूलाल जी महाजन से एक माह के लिए किराये पर लिया है रामलाल ने मेरी जमीन के बाड है उसमें कहीं कहीं कांटे भी जगह जगह लगा दिये उसने कहा कि एक माह बाद वापस बाडा खाली कर सिपुर्द कर दुंगा यह बात मुझे वापस मेरे सिजारी मोतीलाल ने मुझे बताई। दूसरे दिन दिनांक 11.08.2015 को सुबह करीबन साढे आठ बजे तलाई वाले राडाजी बावजी के पास रामलाल व बलदेव नाई मोतीलाल मुझे मिले तब मैने रामलाल को पूछा कि तेरी औरत मेरी जमीन में घास क्यों काट रही थी व कांटे क्यों लगाये जिस पर रामलाल ने कहा कि भेरूलाल से एक माह के लिए मैने जमीन किराये पर ली है जो एक माह बाद खाली कर दूंगा जबकि भेरूलाल का मौके पर कोई बाडा नहीं है न कोई जमीन हैं। उसी समय रामलाल ने मुझे मोतीलाल व बलदेव के सामने कहा कि बाडा आपका है तो तुम बेचो तो कितने रूपये में बेचते हो, जिस पर मैने कहा कि बाद में बात करेंगे। मैने रामलाल को कहा कि तुने जो कांटे लगा दिये है वो मैं हटा दूंगा तो रामलाल ने कहा कि कांटे हटाओगे तो झगडा हो जायेगा। प्रतिवादी संख्या 2 गुलाबसिंह ने भी मेरी उक्त जमीन पर जगह जगह कांटे लगा दिये जो भी मैने हटा दिये, लेकिन भविष्य में प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से मेरी जमीन पर कब्जा कर सकते है मवेशी बांध सकतेहै इसलिए इन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना जरूरी हो गया हैं।
4. यह कि वाद कारण दिनांक 10.08.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादी की उक्त खातेदारी की जमीन में प्रतिवादी रामलाल की पत्नी ने मेरे उक्त खेत में घास काट रही थी। मैने मेरे सिजारी मोती[illegible] के घर भेजा तो रामलाल ने कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested

कि जमीन तो उसने मवेशी बांधने के लिए एक माह के लिए किराये पर ली है एक माह बाद खाली कर दूंगा जिस पर मैने कहा कि जमीन मेरी है तुम कैसे चारा काट रहे हो कांटे क्यों लगा रहे हो तो कहा कि भेरूलाल जी से किराये पर लिया है तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 गुलाबसिंह ने भी मेरी जमीन मे जगह ब जगह कांटे लगाये तथा कब्जा करने पर उतारू हैं। वादकारण उत्पन्न होकर जारी हैं।

5. यह कि वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, जमीन खातेदारी की है, वादपत्र में वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है, मरने मारने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण की वहां कोई खातेदारी की जमीन नहीं है। यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी की जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर लेगें, नुकसान कर देंगे, उससे वादी को भारी असुविधा होगी, मुकदमे बाजी बढेंगी तथा उससे वादी को जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा, जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर में स्थित वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 990 रकबा 8 बिस्वा में प्रतिवादीगण प्रवेश नहीं करे, कांटे नही डाले, मवेशी नहीं बांधे। वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे न अन्य से करावें। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादी की उक्त जमीन अथवा उसके किसी भाग पर कब्जा कर लेवे अथवा कब्जा पाया जावे तो हटाया जाकर वादी को पूर्ववत कब्जा दिलाया जाकर वाद दायर की दिनांक को स्थिति को यथावत रखाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

8. इसी आराजीयात के सम्बन्ध में एक अन्य वाद प्रकरण संख्या 264/15 जयकरणदास बनाम भेरूलाल प्रस्तुत किया गया। दोनो प्रकरण वादी जयकरणदास द्वारा प्रस्तुत कर समान अनुतोष चाहा गया हैं। इस कारण से दोनो प्रकरणों को समायोजित किया गया।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। दोनो पत्रावलियों का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्री नाथुसिंह पिता जयकरणदास के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज हैं। शेष प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण मुझ वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 150 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 नाथुसिंह रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 नाथुसिंह पिता जयकरण दास भी उक्त भूमि का सहखातेदार है इस कारण से प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा [illegible]ी है तो इसके हक अधिकारों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिकूल प्रभाव पडेगा साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने सम्बन्धी प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। उक्त दोनो प्रकरण वादी द्वारा केवल मात्र वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किये गये हैं। उक्त दोनो की प्रकरण अतिक्रमी हो बेदखल करने के नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी के दोनो वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि में प्रकरण संख्या 194/15 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रकरण संख्या 264/15 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। निर्णय की एक प्रति प्रकरण संख्या 264/15 वाद अनवान जयकरणदास बनाम भेरूलाल वगैरहा में भी रखी जावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 194/15 (वाद)

GCMS No. : 2015/00052

उनवान्

1. श्री जयकरणदास पिता दुर्गादास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री रामलाल पिता सोहनलाल नाई निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. श्री गुलाबसिंह पिता अमरसिंह मोतीसर राजपूत निवासी खेमपुर तह. मावली।
3. श्री नाथूसिंह पिता जयकरणदास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या : 264/15 (वाद)

GCMS No. : 2015/00050

1. श्री जयकरणदास पिता दुर्गादास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री भेरूलाल पिता शोभालाल जैन निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. श्री सुशील कुमार पिता भेरूलाल जैन निवासी खेमपुर तह. मावली।
3. श्री मानसिंह पिता अमरसिंह मोतीसर राजपूत निवासी खेमपुर तह. मावली।
4. श्री नाथुसिंह पिता जयकरणदास चारण निवासी खेमपुर तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तह. मावली की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता सं. 150

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested

पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि में प्रकरण संख्या 194/15 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रकरण संख्या 264/15 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। निर्णय की एक प्रति प्रकरण संख्या 264/15 वाद अनवान जयकरणदास बनाम भेरूलाल वगैरहा में भी रखी जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:50 IST
Reason: SelfAttested